भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4729

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

पंपकृत भंडारण संयंत्रों की मंजूरी

4729. श्री दिलेश्वर कामैतः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्री बिप्लब कुमार देबः
डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंपकृत स्टोरेज संयंत्रों (पीएसपी) के लिए स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की संख्या कितनी है और कुल अनुमोदित अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा पीएसपी की स्वीकृति में तेजी लाने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पीएसपी को तैयार करने और प्रस्तुत करने में निजी क्षेत्र को शामिल किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त परियोजनाओं का समयबद्ध और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा वर्ष 2002-03 से अब तक 15,350 मेगावाट की कुल क्षमता वाली पम्प भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) की कुल 12 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) पर सहमति प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) : पीएसपी की डीपीआर के अनुमोदन में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -

i. सीईए ने डीपीआर पूर्व अध्यायों की संख्या को कम करके पीएसपी की डीपीआर तैयार करने के लिए जुलाई 2024 में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ii. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के साथ परामर्श के बाद, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित परियोजनाओं के लिए भूमिगत विद्युतघरों में अन्वेषणात्मक बहाव की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे आमतौर पर एस एंड आई गतिविधियों के दौरान होने वाले विलंब का समाधान हो गया है।

iii. सीईए ने जल विद्युत परियोजनाओं और पीएसपी की सर्वेक्षण एवं जाँच (एसएंडआई) गतिविधियों की निगरानी के लिए "जल विद्युत डीपीआर" पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल मूल्यांकन एजेंसियों और विकासकर्ताओं के कार्यप्रवाह और लंबित कार्यों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग करने में सक्षम बनाता है, जिससे विलंब का पता लगाने और उसे प्रभावी ढंग से दूर करने में सहायता मिलती है।

iv. भारत सरकार ने दिनांक 01.08.2025 की अधिसूचना के माध्यम से, चाहे पूंजीगत व्यय की मात्रा जो भी हो, ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप पंप भंडारण स्कीमों को सीईए की सहमति की आवश्यकता से छूट दे दी है।

(घ) और (ङ) : पीएसपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और प्रस्तुत करने में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। वर्तमान में, निजी क्षेत्र के अंतर्गत 51,100 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 30 पीएसपी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किए जाने के लिए सर्वेक्षण एवं जाँच (एसएंडआई) चरण में हैं।

(च) एवं (छ) : भारत सरकार द्वारा पीएसपी सहित जल विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(क) जल विद्युत परियोजनाओं में समय और लागत में वृद्धि को कम करने के लिए दिशानिर्देश दिनांक 08.11.2019 को जारी किए गए हैं।

(ख) जल विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले सीपीएसई के निर्माण अनुबंधों में स्वतंत्र अभियंताओं के माध्यम से विवाद निवारण तंत्र दिनांक 27.09.2021 को शुरू किया गया है।

(ग) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सीपीएसयू/सांविधिक निकायों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं में संविदात्मक विवादों के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समितियों (सीसीआईई) के माध्यम से विवाद समाधान दिनांक 29.12.2021 को शुरू किया गया है।

****